

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 07.11.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा लेने का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में 30नि0 राम सिंह द्वारा पुलिस टीम के साथ थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 591/25 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 597/25 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना रामगढ़ताल गोरखपुर. से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. राकेश कुमार ओझा पुत्र रामानुज ओझा निवासी ग्राम भिटहा थाना बासगाव जदपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण/पूछताछ-

दिनांक 09.09.2025 को थाना स्थानीय पर बजाज आलियांज जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से धोखाधड़ी होने के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),119(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 व मु0अ0सं0 597/25 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कूटरचना कर बिना अस्पताल में भर्ती कराये हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा अवैध व कूटरचित कागजात व हस्ताक्षर के आधार पर क्लेम कर बीमा धारित व्यक्ति के नाम पर खोले गए कूटरचित बैंक खाते से लाखों रुपये की धोखाधड़ी कर अवैध रूप से रुपये कमाने का गम्भीर अपराध किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

राकेश कुमार ओझा पुत्र रामानुज ओझा निवासी ग्राम भिटहा थाना बासगाव जदपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),119(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 597/25 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना रामगढ़ताल गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 राम सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
2. 30नि0 कुश कुमार राय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
3. का0 रामपुकार गिरी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
4. का0 राजेश कुमार शाह थाना रामगढ़ताल गोरखपुर